Volume I, Issue XXVIII
October To December 2019

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

2019-20

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

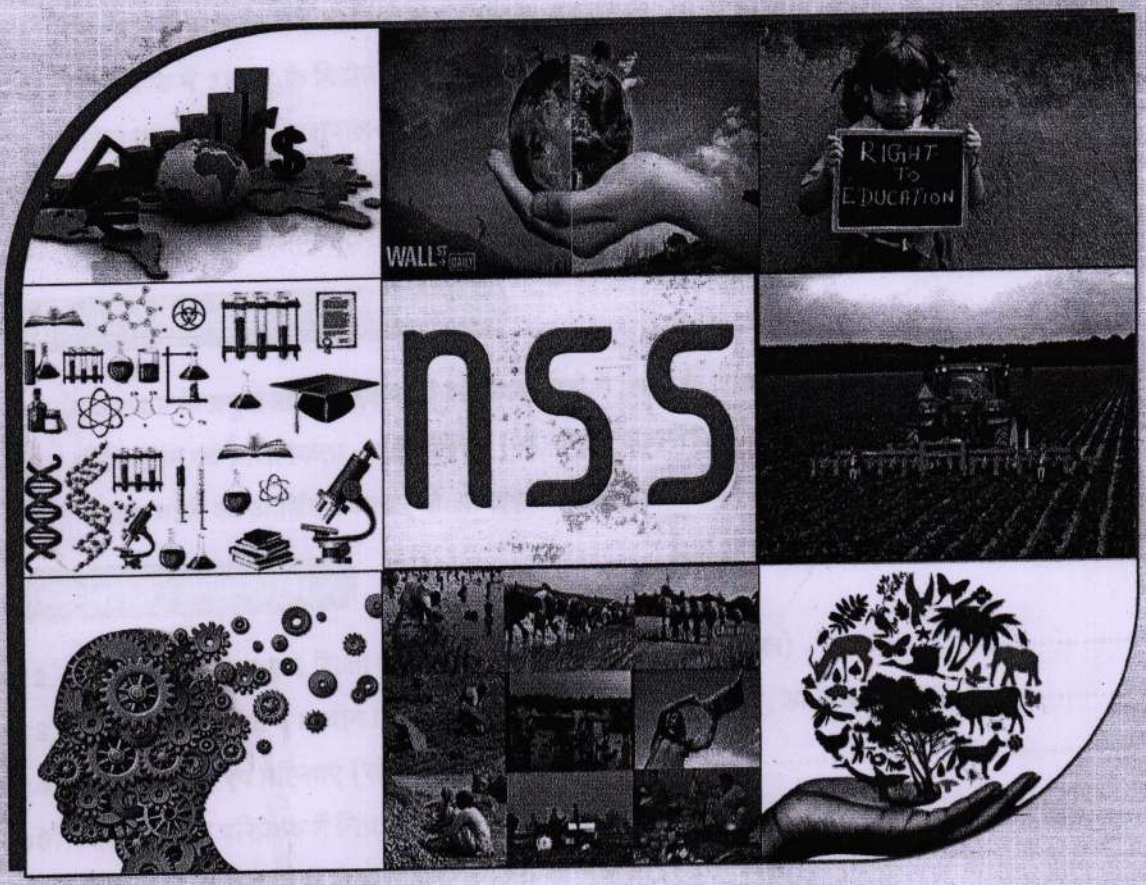

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

(History / इतिहास)

20. Dandanacha - The Dance Form Of Belief Of Ganjam (Odisha) (Mr. Kartikeswar Patro) 5
21. Colonialism And Deforestation In 19th Century India (Anshu Sharma) 5
22. British Economic Policies And Their Impact On Indian Revenue System And Agriculture 6
[1765-1857](Sunil Sharma)
23. Social And Political Condition Of India On The Eve Of Babur's Invasion (Sunil Sharma) 6
24. पं0 मदन मोहन मालवीय और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन (डॉ. दीप्ति जायसवाल) 6
25. बघेलखण्ड में 1857 के विद्रोह की प्रकृति (डॉ. अनुभव पाण्डेय) 7
26. वैदिक युग में कृषि एवं पशुपालन (डॉ. शुक्ला ओझा) 7
27. व्यक्तिगत सत्याग्रह में सतपुड़ांचल का अवदान (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 7
28. 11वीं–12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शैक्षिक व्यवस्था (डॉ. देशराज वर्मा) 8

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

29. राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के आयामों का अध्ययन (डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ) 8
30. गाँधी दर्शन एवं प्रासंगिकता – एक विवेचन (डॉ. वसुधा आवले) 8
31. महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन (डॉ. वीणा बरडे) 8

(Sociology / समाजशास्त्र)

32. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन (मोहित पांचाल) .....
33. जनजातीय समाज में प्राचीन शिक्षा का केन्द्र 'घोटूल' (डॉ.बसंत नाग, डॉ.के.आर. ध्रुव) .....
34. मानवाधिकार एवं महिलाएं (संध्या देव) .....
35. समसामयिक परिप्रेक्ष्य में नि:शक्तजन – शैक्षिक अधिकार व अवसर (कमलेश पँवार) 1
36. महिलाओं के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (हेमा परमार) 1
37. सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका (दीपिका तोमर, डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा) 1
38. आदिवासियों की प्राचीन परम्परा 'बिदरी' (शैलकुमारी धुर्वे) 1
39. आधुनिक युग में योग का महत्व (डॉ. अनामिका प्रजापति) 1
40. गांधी जी के अहिंसावादी विचार आज भी प्रांसगिक हैं 'अहिंसा' (डॉ. रमेश कुमार रावत, डॉ. रंजीता वास्केल) 1

(Geography / भूगोल)

41. मनोरोगों के अनुसंधान में उपयोगी प्रविधियाँ (डॉ. एस. एस. धुर्वे) .....
42. शिवानी की कहानियों में पारिवारिक नारी के विविध रूप (किरण बाला, डॉ. पीयूष कुमार शर्मा) .....

मानवाधिकार एवं महिलाएं

संध्या देव *

प्रस्तावना – मानवाधिकार शब्द से आशय मानव के अधिकारों से है। हेराल्ड लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां है, जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मानवाधिकार शब्द मानव चेतना अपना विकास चाहती है, चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार सुप्रसिद्ध चिन्तक लॉक को स्पष्ट करता है। दरअसल समाज में रहकर प्रत्येक व्यक्तित्व को जीने का अधिकार मिले स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करके वह अपने व्यक्ति का विकास कर सके यह व्यक्ति की नैसर्गिक मॉग है और इस मॉग की पूर्ति का नाम ही अधिकार है।

आदिम समाज में शक्ति ही सत्य थी जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे नियम प्रचलित थे। अत: अधिकारों की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। किन्तु संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ ही यह आवधारणा बलवती हो गई कि मनुष्य को होने के नाते कुछ अधिकार मिलने चाहिए जिसमें वह अपने व्यक्ति का विकास मिलने चाहिए जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। समाज में मानवीय गरिमा का सम्मान हो सके सबके लिए समान समाज और न्यायपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके ऐसा तब सम्भव है जब समतावादी समाज की रचना हो एक सभ्य समाज में अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षा पर रोक लगा सकें और कमजोर वर्गो को संरक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन जी सकें इस आशय की पुष्टि हम धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नैतिक मूल्यों से हो जाती है भारतीय संस्कृति तथा व्यक्तिगत आचरण का एक अहम हिस्सा रहा है।

मानव अधिकारों की वैश्विक अभिव्यक्ति 1948 में संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र में हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होना चाहिए सभी लोगों काके न्याय और शान्ति का वातावरण मिलना चाहिए ताकि व्यक्ति सौहार्दमय वातावरण में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। घोषणा पत्र में भाषण व विश्वास की स्वतंत्रता तथा दु:ख और अभाव से मुक्ति को लोगों की सर्वोच्च अभिलाषा के रूप में मान्यता दी गई। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय झलक सर्वप्रथम मैग्नाकार्ट (सन्1215 का इग्लैंड का प्रसिद्ध आज्ञापत्र) अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध (1776) व फ्रांस की क्रांति (1789) में दिखाई देती है। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव पैदा करने मानव की हिफाजत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (1948) में यह अपेक्षा की गई कि राष्ट्र अपने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के साथ सभी समान है और बिना किसी भेदभाव के कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी थी। 10 दिसम्बर 1948 को जारी इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद है और इन अनुच्छेदों को मानवता का मैग्नाकार्ट कहा जाता है ये अनुच्छेद इस प्रकार है–

सभी मनुष्य जन्म से स्वंतत्र है और समान है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने कार हक हैं । किसी भी आधार पर (भाषा,लिंग,वर्ण,धर्म आदि) भेदभाव नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन स्वंतत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है।

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जाएगा सभी प्रकार की दासता और दास व्यापार निषिद्ध होगा ।

किसी भी व्यक्ति के साथ अमानुषिक एवं अपमान जनक व्यवहार नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने का अधिकार है।

कानून की दृष्टि से सभी समान है और सभी को बिना भेदभाव के समान कानूनी संरक्षण का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरूद्ध राष्ट्रीय अधिकारों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार ,नजरबंद या देश से निष्काषित नहीं किया जा सकता।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाहतओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

किसी भी व्यक्ति की अंतरंगता उसके परिवार के साथ स्वेच्छाचारी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप के विरूद्ध कानून के संरक्षण का अधिकार होगा।

अ. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़ने या किसी भी देश को छोड़ने और देश वापस आने का अधिकार है

ब. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं में आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से उत्पीडन से बचने के लिए अन्य देश में शरण लेने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय श्या. सुं. ना. मु. महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार है और उसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है

प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक ढंग से एकत्र होने संघ बनाने की स्वतंत्रता है।

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सकता है।

मानव अधिकार संगठन –दो विश्वयुद्धों की विभिषिका के बाद पूरे विश्व में शान्ति भाईचारा और न्याय एवं समतापूर्वक समाज की कल्पना की गई। अनेक संगठित प्रयास इस दिशा में हुए मानव अधिकार की सुरक्षा में निम्न लिखित संस्थाऐं स्थापित हुई।

एमनेस्टी इंटरनेशनल– मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित यह एक विश्वव्यापी संगठन है। इसका मुख्यालय लन्दन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मई 1961 को अखबारों में एक अपील देकर की थी। आज लगभग 150 देशों में 5 लाख से ज्यादा सदस्य इस संगठन से जुडकर अपनी सेवाए दे रहे है विश्व में होने वाले मानव अधिकार हनन की यह संगठन वार्षिक रिर्पोट देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह सलाहकार की भूमिका निभाता है 1977 में इस संगठन की इसके कार्यो के कारण नोबोल पुरूस्कार प्राप्त हो चुका है इस संगठन के 6 मुख्य कार्यक्षेत्र है।

1. महिलाओं ,बच्चों,अल्पसंख्यकों और देशज अधिकारों के संरक्षण में भूमिका।
2. अत्याचार समाप्त करने के प्रयास।
3. मृत्युदंड को समाप्त करना।
4. शरणार्थियों के अधिकारों हेतु कार्य करना।
5. जेल में कैदियों के मानव अधिकार के संबंध में कार्य
6. मानवीय गरिमा को संरक्षित करने संबंधी कार्य।

हुमन राइट वाच – 1978 में न्यूयार्क में स्थापित यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है जो महिलाओं,बच्चों, तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करता है।

रेडक्रास – युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं के दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया संगठन रेडक्रास है। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति 1863 में जे.एच.हुनात की मदद से स्थापित की गई थी। सन् 1864 में चौदह राष्ट्रों से आए प्रतिनिधियों ने जिनेवा समझौते को स्वीकृति दी इस समझौते के मुताविक घायलों का उपचार ,पीडितों को मदद पहुचाना तटस्थ रूप से कार्य कर रहे इस संगठन के मानव की सुरक्षा में उठाऐं कदम की सराहना को तीन बार 1917,1944 और 1963 में नोबेल पुरूस्कार से नबाजा गया।

यूनेस्को – सयुंक्त राष्ट्रसंघ की शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था 1946 को अस्तित्व में आई। इसकी प्रस्तावना में उल्लिखित है कि युद्ध मनुष्य के दिमाग में पैदा होते है इसलिये शान्ति को सुरक्षित रखने की सोच भी भावना मस्तिक में बनाई जानी चाहिए।

यह संस्था शिक्षा,विज्ञान,संस्कृति के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है।

मानव अधिकार और भारत – भारतीय संस्कृति में मानवता की अनुगूंज का स्वर सदियों से प्रवाहित होता है। मानव मूल्यों की पोषण संस्कृति में लोक कल्याण,मनुष्य की अस्मिता केन्द्रीय तत्व रहे है एंव मानव सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार न मा परतंर गांधी किंचिदस्ति। अर्थात् मनुष्य से परे या ऊँचा कोई धर्म महात्मा गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा सत्याग्रह, साध्य तथा स पवित्रता आदि मानव अधिकारों और मानव मूल्यों का पोषक रहा है। र रवीन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में मानुशेर,धर्म की चर्चा भी इसी संद गई है। धर्म, दर्शन और चिन्तन की स्वीकारोक्ति संस्थागत प्रयासों जा सकती है।

यथा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक इस बात के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते है। भारत का संविधान समता ,धर्म संसदीय लोकतंत्र, बन्धुता और राष्ट्रीय एकता, आर्थिक न्याय कल्याणकारी राज्य के बुनियादी सिद्धातों पर आधारित है। भारतीय स समता ,धर्म निपेक्षता,संसदीय लोकतंत्र बन्धुता और राष्ट्रीय एकता न्याय,लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी सिद्धांतों पर आध भारतीय संविधान और मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र में निम्नानुसार स्वत: स्पष्ट हो जाती है।

मानव अधिकार एवं महिलाएं– महिलाएं देश की आबादी का आ संवैधानिक स्वतंत्रता समानता समानता को प्राप्त करने के बावजू में उपेक्षा का जीवन जीने हेतु विवश है दरअसल आजादी एक स्थि अधिकार एक सुविधा। अत:महिलाओं को अपने जीवन को खुश सुविधा एंव उन्नत बनाने का अधिकार रूपी सुविधा प्राप्त होना अप मानव अधिकारों को वैष्विक घोषणा में लिंग भेद के बिना सबक रूप से अधिकारों की घोषणा की गई है। 18 दिसम्बर 1976 क राष्ट्र महासभा ने स्त्रियों के विरूद्ध सभी रूपों में विभेद के विलोपन अ को पारित किया। मोटे तौर पर देखा जाए तो महिलाओं के मुख्य मान निम्नलिखित हो सकते है।

- जीवन जीने का अधिकार,पूर्ण पोषण पाने का अधिकार।
- पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार।
- पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
- आर्थिक स्वावलंबन का अधिकार।
- विवाह के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार।
- मातृत्व की अवस्था में समुचित देखभाल एवं पोषण का अधि
- परिवार के निर्माण में अपनी सहभागिता रखने का अधिकार
- प्रतिदिन विश्राम का अवसर प्राप्त करने का अधिकार।
- स्वत: अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने व मनोरंजन का अधिकार
- वृद्धावस्थता में संतान से भरण पोषण का अधिकार।

एक्त अधिकार प्राप्त होने पर महिलाए अपना जीवन स्वतंत्रता गरिमामयी तरीके से जी सकती है महिलाओं को उनके अधिकार सकें इसलिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर की प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है। महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार

- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961संशोधित 2008
- समान वेतन अधिनियम 1976
- बालविवाह निषेध अधिनियम 1929 संशोधित 1987
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961संशोधित 1986
- स्त्री का अशिष्टरूपेण चित्रण प्रतिबंध अधिनियम 1986–
- प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक 1994, संशोधित 2002

मानवाधिकार का बदलता परिदृश्य दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्री शिवराज पाटिल ने कहा था कि धार्मिक कट्टरपन के कारण मानवाधिकारों के हनन का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए समाज में जागरूकता का होना जरूरी है। क्योंकि केवल कानून बनाने से समस्या हल नहीं होती। जनता को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसी में मानव मात्र का कल्याण निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरूण राय: मानव अधिकार आयोग।
2. जय जय राम उपाध्याय - मानव अधिकार।
3. नेमा जी.पी एवं शर्मा के - मानव अधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार।
4. सक्सेना के.पी.मानव अधिकार।
5. सेन शंकर मानव अधिकार एवं सामाजिक विकास।

****